ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 288-293**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विकास, समस्यायें व समाधान

प्रतिभा खरे

शिक्षण सहायक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेषन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, (उ0प्र0) भारत

Received- 01.12. 2021, Revised- 05.12. 2021, Accepted - 09.12.2021 E-mail: pratibhakhare793@gmail.com

सारांश: ***शिशु माँ की गोद से शिक्षा ग्रहण करता हुआ विद्यालय के विशाल प्रांगण में समुचित रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिये शिशु की प्रथम शिक्षिका माँ और घर प्रथम विद्यालय होता है। आज देश के तमाम समाजशास्त्री व संवेदनशील साधारण जन इस बात को लेकर चिन्तित हैं व्यक्ति अपने शैक्षिक कौशल का उपयोग केवल दूसरों के शोषण में कर रहा है। असंख्य ऐसे लोग हैं जो अपने संकीर्ण स्वार्थ कें लिए सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ घात करने में रंचमात्र लज्जा का अनुभव नहीं करते। चीन व दक्षिण पूर्व एशिया कें देशों ने शिक्षा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीयता को सुदृढ़ किया है, अपनी सांस्कृतिक विरासत से वर्तमान पीढ़ी को सम्बद्ध किया है। भाशा का सम्मान किया और इस तरह शिक्षा को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हथियार बनाया है, जबकि उसके विपरीत भारत के शिक्षा का स्वरूप नितान्त अराष्ट्रीय और सर्वथा सांस्कृतिक विरासत से शून्य दिखाई देता है। भारत के राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषालिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।***

कुंजीभूत शब्द– समाजशास्त्री, संवेदनशील, शैक्षिक कौशल,संकीर्ण स्वार्थ, रंचमात्र, सांस्कृतिक विरासत।

राज्य, जनता के दुर्बल विभागों के विशेष या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष बीत गये, अर्थात् एक पीढ़ी नहीं बल्कि तीन पीढ़ी जवान हो गयी परन्तु देश की शिक्षा व्यवस्था का विदेशी पौधा अमर बेल की तरह फैलता रहा। आज देश राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया। वर्तमान शिक्षा के ढॉचे में माध्यमिक शिक्षा का अत्यन्त ही महत्व पूर्ण स्थान है।

मनुश्य बौद्धिक प्राणी होने के नाते सृष्टि में उत्पन्न समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। इस श्रेष्ठता का मापदण्ड उसकी बुद्धि, क्रियाशीलता एवं मनोवृत्तियों पर नियंत्रण हैं, जो शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हुआ है, शिक्षा की यह प्रक्रिया जन्म के साथ स्वतः आरम्भ हो जाती है और जीवन पर्यन्त चलती रहती है।

शिशु माँ की गोद से शिक्षा ग्रहण करता हुआ विद्यालय के विशाल प्रांगण में समुचित रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिये शिशु की प्रथम शिक्षिका मॉ और घर प्रथम विद्यालय होता है। यहीं बालक प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता है और अपने भविष्य की रूप रेखा का चुनाव करता है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पर ही उसका भविष्य आधारित होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्य समस्याओं के साथ प्रमुख समस्या शिक्षा की भी थी इसलिए श्री नेहरू जी ने आजादी की पूर्व संध्या पर अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि– ''भावी सरकार का लक्ष्य आम आदमियों, कृषकों एवं मजदूरों को आजादी और अवसर उपलब्ध करना तथा ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संस्थाओं की स्थापना करना होगा जिससे प्रत्येक पुरूष, स्त्री के जीवन को पूर्णता प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण हो सके। इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक था कि भारत में प्रचलित शिक्षा संगठन में आमूल चूल परिवर्तन किये जाय''।

आज देश के तमाम समाजशास्त्री व संवेदनशील साधारण जन इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि राष्ट्र मे विखराव पैदा करने वाली शक्तियॉ मजबूत हो रही हैं, सामाजिक समरसता नष्ट हो रही है। व्यक्ति अपने शैक्षिक कौशल का उपयोग केवल दूसरों के शोशण में कर रहा है। असंख्य ऐसे लोग हैं जो अपने संकीर्ण स्वार्थ कें लिए सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ घात करने में रंचमात्र लज्जा का अनुभव नहीं करते। यदि गहराई से विचार करें तो हमें मानना पड़ेगा कि इसके लिए निश्चय ही हमारी शिक्षा व्यवस्था दोशी है। उसकी आर्थिक उपलब्धि के अतिरिक्त कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य में वह विरत सी प्रतीत होती है।

ह्यूमन डेबलपमेन्ट रिपोर्ट 1996 में मानव विकास सूचक अंकों में दुनिया के 174 देशों में भारत का 131 वॉं स्थान है। प्रायः यह कह दिया जाता है कि अधिक जनसंख्या के कारण भारत मानव विकास के मामलों में बहुत पीछे रह जाता है, किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। चीन की जनसंख्या भारत से कहीं अधिक है लेकिन उपर्युक्त श्रेणी में उसका स्थान 85वॉं है, भारत से कम

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

से कम 46 सीढ़ी ऊपर।

इस अन्तर का कारण जानने का प्रयास करें तो तुरन्त हमारी दृष्टि उनकी शिक्षा व्यवस्था और उसके स्वरूप की ओर जायेगी। चीन व दक्षिण पूर्व एशिया कें देशों ने शिक्षा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीयता को सुदृढ़ किया है, अपनी सांस्कृतिक विरासत से वर्तमान पीढ़ी को सम्बद्ध किया है। भाषा का सम्मान किया और इस तरह शिक्षा को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हथियार बनाया है, जबकि उसके विपरीत भारत के शिक्षा का स्वरूप नितान्त अराष्ट्रीय और सर्वथा सांस्कृतिक विरासत से शून्य दिखाई देता है।

माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप– भारत वर्ष विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्रात्मक देश है। जनतंत्रात्मक प्रणाली बड़ी कोमल होती है इसके असफल होने की अनेक सम्भावनायें रहती हैं। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा या सीनियर बेसिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ होता है। कक्षा 9, 10, 11, 12 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक व उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। जिस पर ही छात्रों का भविष्य निर्भर करता है।

ब्रिटेन की न्यूनतम रिपोर्ट 1963 के अनुसार– 11 वर्श के नीचे प्राथमिक शिक्षा तथा उससे ऊपर माध्यमिक शिक्षा होती है आयु की यह एक ऐसी ही काल्पनिक सीमा है, जैसे शून्य में 59 की अक्षांश रेखा।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय मनीशियों एवं शिक्षाविदों ने माध्यमिक शिक्षा के जिस स्वरूप को निर्धारित किया है वह सम्पूर्ण भारत में एक सा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वेक्षण करके निम्न स्वरूपों को बताया है।

1. हायर एलीमेण्ट्री अथवा मिडिल स्कूल– कुछ राज्यों में मिडिल स्कूलों को हायर एलीमेन्ट्री वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल आदि नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षण की व्यवस्था है।

2. माध्यमिक विद्यालय– माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के दो भाग प्रचलित हैं।

क. जूनियर स्तर

ख. हायर स्तर

कहीं–कहीं पर सीनियर बेसिक स्कूल भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। इनमें 4 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था है। हाई स्कूल, माध्यमिक स्तर का उच्चस्तर है। कुछ स्थानों पर इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से ऊपर होता है।

3. हायर सेकेण्ड्री स्कूल– हायर सेकेण्ड्री स्कूल आधुनिक प्रकार के विद्यालय हैं, इनमें तीन से लेकर चार वर्ष की शिक्षा व्यवस्था की गयी है।

4. हायर एजूकेशन– कुछ राज्यों में प्रीयूनिवर्सिटी तथा डिग्री का पहला वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आता है।

5. इण्टरमीडिएट कॉलेज– सैडलर कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना एवं बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन का गठन हुआ। इनमें दो वर्ष का पाठ्यक्रम होता है कक्षा 11 तथा 12 के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था है।

6. व्यावसायिक कॉलेज– माध्यमिक स्तर पर अनेक व्यवसायिक कॉलेज हैं, इनमें इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी, मेडिसिन, बेटेनरी, एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स के पाठ्यक्रम हैं।

7. टेक्नीकल संस्थान– इस स्तर पर अनेक टेक्नीकल संस्थान भी हैं। इनमें व्यवसायिक एवं पॉलीटेक्नीक, संस्थान भी हैं। अनेक ऐसे संस्थान है जिनमें 12 वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

8. पॉलीटेक्नीक– अनेक राज्यों में विभिन्न व्यवसायों के लिए विभिन्न अवधियों के प्रशिक्षण के लिए पालीटेक्नीक संस्थानों का गठन किया गया है। इनमें टेक्नालॉजी, आर्ट एण्ड क्राफ्ट, सेक्रेटिरियल, प्रैक्टि्स डोमेस्टिक, साइंस, होम क्राफ्ट एवं सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

संविधान द्वारा शिक्षा का प्रावधान– भारतीय संविधान में संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के विशय में कहा गया है–

धारा–29 : अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षण–

1. भारत के राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषालिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

ASVP PIF-9.001 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

2. राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा सम्बन्धी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाशा अथवा उनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं रखा जायेगा।

धारा–30ः शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प संख्यकों को अधिकार होगा–

1. धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रूचि की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

2. शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरूद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। सरकार अल्प संख्यकों पर अपनी कोई भी भाशा नहीं थोपेगी। अल्पसंख्यता का निर्णय राज्य में उस वर्ग की जनसंख्या से होगा, जो संस्था राज्य की सहायता प्राप्त करती है, उसे अल्प संख्यकों के हितों का ध्यान रखना होगा। अल्प संख्यकों के अधिकारों का राजनैतिक दुरूप्योग नहीं किया जायेगा।

धारा 45– बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराना–

राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्श की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

धारा 46– अनुसूचित जातियों आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति– राज्य, जनता के दुर्बल विभागों के विशेष या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। भारतीय संविधान में यह कहा गया है**–** ''इस संविधान के लागू होने के दस वर्श के अन्दर चौदह वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा'' बालिकाओं की इण्टरमीडिएट कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गयी है। स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश में 25 प्रतिशत बालकों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी परन्तु संविधान की इस घोषणा से तथा राज्यों पर शिक्षा के दायित्वों को डालने के फलस्वरूप, शिक्षा क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

भारतीय संविधान में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति– भारतीय संविधान में माध्यमिक शिक्षा में (जो कि 16 वर्ष आयु तक की होती है) बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है। इस प्रकार शिक्षा जगत में इस नियम के द्वारा क्रान्तिकारी प्रगति हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन 1952–53)

23 सितम्बर 1952 को सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष मद्रास विश्व विद्यालय के कुलपति ''डॉ. ए.लक्ष्मण स्वामी मुदालियर'' को नियुक्त किया गया। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष बतायी तथा माध्यमिक शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया।

1. 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर–

2. 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक– माध्यमिक शिक्षा में बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। कोठारी कमीशन 1964–66– शिक्षा आयोग के शब्दों में ''हमारे देश की शिक्षा का प्रमुख स्वरूप जो कि विदेश से लाया गया था, अभी भी एक विदेशी पौधे की प्रकृति वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन करते हुए भय या संकोच लगता है। जब तक कि वह परिवर्तन विदेशों में होने वाले तद्विशयक परिवर्तन के अनुरूप न हो, हमकों अपने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अपनी निजी विचार धारा के अनुरूप लाना होगा जिससे बाहर क्या हो रहा है इससे हम अवगत रहे उसके आधिपत्य में रहे''।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के समक्ष माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के समय तीन प्रश्न प्रमुख थे।

1. माध्यमिक शिक्षा किस आयु समूह के लिए हो।
2. विद्यमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन हों।
3. परिवर्तन से अप्रभावित विद्यालयों में कुशलता का विकास किस प्रकार हो।

कोठारी कमीशन ने शिक्षा को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना, जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों को स्वतन्त्र इकाईयों के रूप में माना।

कोठारी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के नवीन रूप को इस प्रकार दिया–

1. इसमें मिडिल स्कूल या जूनियर सेकेण्ड्री या सीनियर बेसिक स्तर पर 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो।
2. हायर सेकेण्ड्री स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्र हो तथा विद्यमान इण्टरमीडिएट का एक वर्ष इसमें सम्मिलित किया जाय। इस प्रकार सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर दो भागों में विभक्त हो गया।

1. कक्षा 6 से 8 तक जूनियर माध्यमिक स्तर

ASVP PIF-9.001 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

2. कक्षा 9 से 11 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर

कोठारी कमीशन का संदर्भ–

कोठारी कमीशन ने शिक्षा की नवीन संरचना के द्वारादेश में एक रूपता बनाये रखने पर विशेष बल दिया इसीलिए माध्यमिक स्तर को उसने दो भागों में विभक्त किया।

1. लोअर सेकेण्ड्री– इसमें 8–9 या 9–10 कक्षा हैं।
2. हायर स्तर– इसमें 11–12 कक्षा है।

आज सम्पूर्ण देश में 10+2 शिक्षा योजना आरम्भ की गयी है।

शिक्षा का व्यवसायीकरण– कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यसायीकरण पर सुझाव देते हुए कहा– ''हमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण और इस स्तर पर सम्पूर्ण छात्र संख्या लगभग आधे छात्रों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता पर विशेश रूप से बल देना चाहिए।''

शिक्षा आयोग के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए ''राष्ट्रीय पुनर्निरीक्षण समिति'' ने +2 की विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनः निरीक्षण किया तथा निम्नलिखित विशयों एवं व्यवसायों को पाठ्यक्रम में रखा–

1. कृषि तथा उसमें सम्बन्धित व्यवसाय
2. व्यापार तथा ऑफिस व्यवस्था
3. पेरामेडिकल
4. शैक्षिक सेवाएं।
5. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित सेवाएं
6. गृह विज्ञान से सम्बन्धित व्यवसाय
7. अन्य सामान्य सेवाएं

इसके अतिरिक्त बहुउद्देशीय विद्यालयों की भी सिफारिश की गयी, जिसमें छात्र अपनी रूचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके।

शिक्षा आयोग 1964–95 में अपनी सम्पूर्ण शिक्षा दिग्दर्शिका के अन्तर्गत जिस आधारभूत तथ्य को स्वीकार किया वह है–

''सम्पूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली। विविधताओं के इस देश में शिक्षा की भिन्न प्रक्रिया प्रवाहित होती है, और यह कहना कठिन हो गया है कि किस प्रदेश की शिक्षा या शिक्षा का स्तर ऊँचा है अथवा नीचा। अधिकांश लोगों का कहना है कि जहॉ अंग्रेजी माध्यम है, वहॉ की शिक्षा उत्तम है। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लैग्वेज के छात्र सफल नहीं हुए। प्यार तथा दुलार की छॉह में विकसित हुए पुत्र तथा कथित सफलता की सीढ़ी पर चलते चले जाते हैं और मॉ का दूध पीकर बढ़ने वाले जन जीवन की सामान्य धारा में अपना अस्तित्व प्रवाहित कर देते हैं गुमनाम गुमसुम''।

देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष बीत गये, अर्थात् एक पीढ़ी नहीं बल्कि तीन पीढ़ी जवान हो गयी परन्तु देश की शिक्षा व्यवस्था का विदेशी पौधा अमर बेल की तरह फैलता रहा। इस शिक्षा का सम्बन्ध न तो राष्ट्रीय चरित्र से रहा और न राष्ट्रीय पुनर्रचना से, समय समय पर भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता समिति (1962) ने इस ओर संकेत दिया–''कुल मिलाकर छात्र समाज के हित की दृष्टि से हम यह समझते हैं कि समस्त देश में शिक्षा का स्वरूप एक समान हो, जिससे समभाव का विकास हो और उसमें समन्वय हो सके तथा शैक्षिक स्तरों को सुरक्षित रखा जा सके''।

कोठारी कमीशन ने सम्पूर्ण शिक्षा को 3 स्तरों में बॉटा है–

1. प्राथमिक स्तर
2. हाईस्कूल तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा
3. अवर स्नातक तथा शोध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986– आज देश राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया। इन सबको दूर करने तथा देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, तकनीकी इत्यादि का विकास हो, समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में नई शिक्षा नीति निर्मित करने की घोशणा की।

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया कि शैक्षिक संरचना 10+2+3 की हो जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर तथा 2 वर्श का हाई स्कूल होगा।

वर्तमान शिक्षा के ढॉचे में माध्यमिक शिक्षा का अत्यन्त ही महत्व पूर्ण स्थान है। इसे सुदृढ़ उपयोगी एवं प्रभावशाली बना

कर ही हम शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु नयी शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के वृहद उद्देश्य निश्चित किये गये हैं।

1. इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को वह सम्पूर्ण सामान्य जानकारी और ज्ञान देना है। जिससे वह किसी भी व्यवसाय, व्यवसायिक शिक्षा अथवा शैक्षिक पाठ्यक्रम को आत्मसात् कर सके तथा सामर्थ्य एवं सूझ–बूझ से अपना सके।

2. यह शिक्षा बालकों में भावनात्मक व राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने, राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करने तथा संयोग्य नागरिक बनाने हेतु, सामाजिक व नागरिक गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए।

3. इस शिक्षा का उद्देश्य श्रम के प्रति निश्ठा उत्पन्न करना एवं बालकों के दैनिक जीववन का अभिन्न अंग बनाने वाली होनी चाहिए।

4. यह शिक्षा बालकों में वैज्ञानिक व सृजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए।

नवोदय विद्यालय की स्थापना– माध्यमिक स्तर की शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि लगातार होती जा रही है, परन्तु गुणात्मक वृद्धि अभी तक कोशो दूर खड़ी प्रतीत होती है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा 1986 में माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु नवोदय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस निर्णय के अन्तर्गत समस्त देश में प्रत्येक प्रान्त व जिले में एक एक नवोदय विद्यालय खोला गया। यह नवोदय विद्यालय विशेषतः ग्रामीण प्रतिभावान बालक, बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं।

नवोदय विद्यालय की विशेषताएं निम्नवत् हैं–

1. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षायें हैं।

2. शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में है। लेकिन इसके साथ ही हिन्दी तथा अंग्रेजी पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

3. इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत स्थान उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा तथा 25 प्रतिशत स्थान शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा भरा जाता है।

इस व्यवस्था से बालक बालिकाओं में भारतीय संस्कृति और यभ्यता के गुणों का विकास होता है, तथा राष्ट्रीय प्रेम की भावना इन विद्यालयों के द्वारा मजबूत हुई है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था–उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृश्टि से भारत वर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान समय में यहॉ माध्यमिक स्तर की शिक्षा का स्वरुप नवीन राष्ट्रीय नीति के अनुसार नहीं है। अर्थात् अभी यहॉ दो वर्ष का हाई स्कूल तथादो वर्ष का इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त छात्र को विश्व विद्यालय शिक्षा हेतु प्रवेश मिलता है। उपरोक्त दोनो परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित होती हैं।

नयी शिक्षा–नीति 1986 का उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव– वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निम्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में बालक व बालिकाओं को जिस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है वह निम्नवत् है।

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय
2. निजी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
3. अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालय

स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विकास तीव्र गति से हुआ परन्तु शिक्षा का स्तर गुणात्मक दृष्टि से काफी निम्न है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने से उत्तर प्रदेश की माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार होने की आशा की जाती हैं।

10+2+3 की संरचना– इसमें 10 वर्ष के कार्यानुभव पर आधारित सामान्य शिक्षा +2 स्तर की व्यवसायिक शिक्षा तथा +3 वर्षीय डिग्री कोर्स, इस प्रकार डिग्री कोर्स के लिए एक वर्श अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं को लगाना पड़ेगा। य़द्यपि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों ने शुरू कर दिया है, परन्तु +2 स्तर जिसमें व्यवसायिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है आज भी देश में पूर्णतः लागू नहीं हो पायी है। वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक संकट पुनः इस संरचना में रूकावट पैदा करने के लिए सामने दीवार की तरह खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है।

इस प्रकार 10+2+3 का मुख्य आधार है व्यवसायिक शिक्षा। देश में एक आवाज लगातार उठती रहती है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों को रोजगार नहीं देती है। शायद इसी चुनौती को कोठारी कमीशन ने स्वीकार करके शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र का विकास निर्धारित किया।

माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें–

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

1. अनुपर्युक्त पाठ्यक्रम।
2. दोशयुक्त शिक्षण पद्धति।
3. वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा।
4. व्यक्तिगत स्कूलों की अवांछनीयता।
5. सामुदायिक जीवन का अभाव।
6. दोशपूर्ण परीक्षा प्रणाली।

7– अनुशासनहीनता की समस्या।

8. संगठन में एकरूपता का अभाव।
9. अपव्यय एवं अनुरोध।
10. माध्यमिक विद्यालय का कुप्रबन्ध।
11. योग्य अध्यापकों का न होना।
12. विषय अध्यापकों की कमी।
13. अप्रशिक्षित अध्यापकों का होना।
14. अध्यापकों पर शासन का नियंत्रण न होना।

माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान–

1. रूचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण।
2. प्रावैगिक विधियों का प्रयोग।
3. वॉछित उद्देश्यों की प्राप्ति।
4. व्यक्तिगत स्कूलों की समाप्ति।
5. परीक्षा प्रणाली में सुधार।
6. माध्यमिक विद्यालयों के संगठन में एकरूपता लायी जाए।
7. स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए।
8. माध्यमिक विद्यालयों का सरकारी प्रबन्ध।
9. अपव्यय एवं अवरोधन का निराकरण।
10. अनुशासनहीनता के कारणों का निराकरण किया जाए।
11. प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना।
12. कक्षा शिक्षण कार्य को सरकार द्वारा निरीक्षण करना।
13. विषय बार अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।
14. शिक्षण कार्य में रूचि न लेने वाले अध्यापकों को दण्ड की व्यवस्था की जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कबीर, एच0: एजूकेशन इन न्यू इण्डिया, लन्दन जर्जएलन।
2. दयाल भगवान: दि डिवलपमेन्ट ऑफ मार्डन इंडियन एजूकेशन।
3. नूरुल्ला, एस0एण्ड: ए हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया बाम्बे मेकमिलन, 1967.
4. नायक जे0पी0: रोल ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया इन एजूकेशन।
5. क्रैसर, ए0पी0: क्लौज एजूकेशन इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दर, 1921.
6. ब्रू वेकर, जान: हिस्ट्री ऑफ दि प्राब्लम्स आफ एजूकेशन म्रैगेहिल, बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1947.
7. वूल्म, वेनजानिन: ए वैल्यूऐशन इन सेकेन्डरी स्कूल्स, नई दिलि, डी0ई0पी0एस0ई0 1961.
8. मिश्रा, डा0 वेद: एजूकेशन इनइन्सीयेन्ठ इण्डिया, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली, 5, 1965.
9. मार्क, एफ0एफ0: एजूकेशन पॉलसी इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1934.
10. मोहन लाल: रिएसेन्ट ट्रेन्ड्स इन सेकेन्डरी एजूकेशन, न्यू देहली, आचार्य बुक डिपो, 1973.
11. रस्तोगी, के0जी0: भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 1977.

*****